

परिशिष्ट-06

अन्वेषक कम संगणक/सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा-2023

Check List

अनुक्रमांक-
आवेदित पद-

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे के अनुसार संलग्न है अथवा नहीं
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति। (जिसमें पदों की वरीयता समाहित हो।)	
02	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना प्रत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र	
06	हाईस्कूल अंकतालिका	
07	इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र	
08	इण्टरमीडिएट अंकतालिका	
09	स्नातक उपाधि*	
10	स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका	
11	परास्नातक उपाधि*	
12	परास्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका	
13	कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा	
14	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 01 वर्ष का डिप्लोमा।	
15	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर में "सी0सी0सी0" प्रमाणपत्र	
16	अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)। (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। (ख) एन0सी0सी0 "बी" प्रमाणपत्र (ग) एन0सी0सी0 "सी" प्रमाणपत्र	

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे के अनुसार संलग्न है अथवा नहीं
	(घ) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (इन्डियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट) से सांख्यिकी में प्रमाण-पत्र भाग-1 या उसके समकक्ष कोई अन्य डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) धारक को।	
	(ङ) सांख्यिकी के साथ एम०ए०/एम०एस०सी० या समकक्ष अर्हता या औद्योगिक फसलों आकड़ों का संकलन और विश्लेषण का अनुभव	
	(च) ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जो एम० कॉम०, अर्थशास्त्र में एम० ए० हो, जिसका एक प्रश्न पत्र सहकारिता का रहा हो, एम०एस०सी०(कृषि), एम०एस०सी० हो, जिसके पास बी०एन०मेहता इन्स्टीट्यूट ऑफ को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट, पूना से सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो।	
	(छ) राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।	
17	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०/ई०डब्ल्यू०एस०)** (यदि लागू हो) श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख	
18	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षेत्रीय आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/दिव्यांगता प्रमाण पत्र) (यदि लागू हो) श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख	
19	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	
20	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथपत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।	
21	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या A-1/E-1/DR(ASO)/2023, दिनांक: 07 फरवरी, 2024 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद के संबंधित ग्रेड-पे..... से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड-पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
22	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवानियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।	
23	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
24	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ एवं एक फोटोयुक्त आई०डी०।	
25	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित 41/उ०अ०से०च०आ०/2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति। (यदि लागू हो)	

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे के अनुसार संलग्न है अथवा नहीं
26	विज्ञापन के बिन्दु सं०-05 में अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह ग पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण-पत्र/अभिलेख-	
	1. Is Your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from and recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा	
	4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose? अथवा	
	5.(ii) Is your spouse or your parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose?	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा० आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०/ई०डब्लू०एस० आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2024 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ०बी०सी० प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो।

*** ई०डब्लू०एस० प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-2023 की आय गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निर्गत हुआ होना चाहिए।

**** अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगता की जिस उप श्रेणी का दावा किया गया है, उसके सापेक्ष दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उक्त उप श्रेणी स्पष्ट अंकित होनी चाहिए।

नोट:- अभ्यर्थी उक्तानुसार चैकलिस्ट सहित चैकलिस्ट में उल्लिखित समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट पूर्णरूप से भरते हुए तैयार करेंगे एवं अभिलेख सत्यापन (**Document verification**) के समय आयोग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....